

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, धमतरी // आदेश //

क्रमांक 3746/कोविड-19/2020/

धमतरी, दिनांक 10.04.2021

WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के सम्पर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। अतः COVID-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया उचित एवं आवश्यक हो गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1, दिनांक 13.3.2020 के अंतर्गत तद्संबंध में आदेश प्रसारित किए गए हैं।

अ. महामारी रोग अधिनियम, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1, दिनांक 13.3.2020 के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला धमतरी के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 11.04.2021 रात्रि 12:00 बजे से 26.04.2021 रात्रि 12:00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉक डाउन) की जाती है एवं इस कम् में धमतरी जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से दिनांक 26.04.2021 रात्रि 12:00 बजे तक रोक लगाई जाती है। जिले के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के प्रतिबंध एवं संचालन के संबंध में निम्न आदेश पारित किए जाते हैं:-

## शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय :-

जिले के समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे। परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। शासकीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी को प्रदत्त शासकीय पहचान पत्र पास के रूप में मान्य किये जायेंगे। यदि शासकीय पहचान पत्र नहीं है तो कार्यालय प्रमुख ऐसे कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि में अपने निवास स्थान से कार्यालय आने तक पास जारी करेगा।

## आवश्यक सेवायें :-

- निम्नलिखित सेवाओं/गतिविधियों को छोड़कर समस्त गतिविधियां जिले के भीतर प्रतिबंधित रहेंगी।
- समस्त आवश्यक सेवायें यथा-अस्पताल प्रबंधन, जलआपूर्ति, विद्युत आपूर्ति स्वच्छता सेवायें, दूरसंचार, आकस्मिक परिवहन सेवायें।
  - आवश्यक वस्तुओं एवं फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं का परिवहन।
  - निम्न समयावधि एवं शर्तों सहित निम्न सेवाओं के संचालन की छूट रहेगी:-

(अ) किराना एवं जनरल स्टोर्स, मिल्क पार्लर, सब्जी की दुकानें, फल की दुकानें लॉक डाउन अवधि में प्रातः 8.00 से 10.00 बजे तक खुली रहेंगी। अनाज मंडियां, सब्जी मंडियां और फल मंडियां प्रातः 6.00 बजे से 10.00 बजे तक खुली रहेंगी।

(ब) पशुचारा एवं पशुआहार से संबंधित दुकानें, कृषि से संबंध दुकानें यथा-कीटनाशक, फर्टिलाइजर खाद तथा कृषि उपकरणों के मरम्मत से संबंधित दुकानें उक्त दुकानें प्रातः 8.00 से 10.00 बजे के मध्य खुली रहेंगी।

- समस्त बैंकिंग सेवायें प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे तक खुली रहेंगी, बैंकिंग प्रबंधन उक्त अवधि में केवल आवश्यक सेवायें प्रदान करेंगे। बैंकिंग प्रबंधन जिन सेवाओं का संपादन करेगी उनकी सूची बैंक के बाहर चस्पा कर ग्राहकों को सूचित करेगी। जिन व्यक्तियों को उक्त अवधि में बैंक में आने जाने की छूट रहेगी उक्त संबंध में ग्राहक बैंक मैनेजर से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करेगा तथा अपने कार्य के संबंध में बैंक मैनेजर से अनुमति प्राप्त करेगा, बैंक मैनेजर द्वारा उक्त संबंध में ग्राहक को बैंक में उपस्थित होने के संबंध

में मोबाईल के माध्यम से अनुमति प्रदान करेगा इसके पश्चात् ही कार्य अवधि में ग्राहक बैंक में उपस्थित हो सकेगा। बैंक मैनेजर द्वारा मोबाईल में प्रदान की गई अनुमति लॉक डाउन अवधि में पास के रूप में उपयोग की जायेगी, जिसकी वैधता उस तिथि से बैंकिंग कार्य अवधि तक रहेगा। उक्त संबंध में प्रत्येक बैंक प्रबंधन को आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक बैंक मैनेजर का मोबाईल नंबर शाखा के बाहर प्रदर्शित करें, ग्राहक प्रातः 8.00 बजे से 10.00 बजे से संबंधित बैंकों के मैनेजर का मोबाईल नंबर नोट कर सकते हैं जनसम्पर्क कार्यालय से समस्त बैंक मैनेजरों की सूची जनहित में समाचार पत्र में प्रकाशित की जावेगी।

- मेडिकल स्टोर्स (24x7) पेट्रोल पम्प (24x7) गैस डिलीवरी सेवायें (प्रातः 10.00 बजे से 4.00 बजे तक) के अवधि के मध्य संचालित रहेंगी।

#### परिवहन सेवायें :-

जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालीक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।

#### निर्माण कार्य :-

सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य (सिर्फ मनरेगा को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे। मनरेगा कार्यस्थल में कोरोना से संक्रमण से बचने के समस्त उपायों का कड़ाई से पालन किया जावेगा।

#### उद्योग धंधों/आवश्यक वस्तुओं का परिचालन करने वाले संस्थान :-

जिले में संचालित उद्योग धंधों को यथासंभव बंद रखा जावे, परंतु यदि कोई संचालक अपनी सेवाओं को चालू रखना चाहता है तो उसे कोविड संक्रमण से बचने के समस्त उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा। उद्योग संचालक कार्य स्थल में मजदूरों के आवाजाही हेतु स्वयं पास जारी करेगा जिसे प्रशासन द्वारा मान्य किया जावेगा। ऐसे उद्योगों का संचालक अपने परिवहन हेतु उद्योग विभाग द्वारा जारी पंजीयन की कापी अपने साथ रखेगा जिसे पास के रूप में मान्य किया जावेगा। प्रशासन द्वारा किसी भी उद्योगों के संचालन हेतु पृथक से पास जारी नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य आवश्यक वस्तुओं के संचालन करने वाले उपकर्मों एवं संस्थाओं पर भी यही नियम लागू होगा।

#### आवागमन हेतु पास :-

जिले के भीतर अर्न्तजिला और अर्न्तराज्यीय पास जारी करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी जिले के भीतर शासकीय कर्मचारियों द्वारा परिचय पत्र को कार्यालयीन अवधि में अथवा उसके पश्चात् पास के रूप में मान्य किया जावेगा। ऐसे कर्मचारियों को पृथक से कोई पास नहीं दिया जायेगा। आवश्यक वस्तुओं का संचालन करने वाली निजी व्यावसायिक संस्थानों हेतु पृथक से पास जारी नहीं किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं का संचालन करने वाले संस्था के पास पंजीकृत प्रमाण पत्र को पास के रूप में मान्य किया जावेगा। आवश्यक वस्तुओं का संचालन करने वाली संस्था के संचालक द्वारा अपने संस्था के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को अपने हस्ताक्षर से पास प्रदान किया जावेगा जिसे जिले के भीतर मान्य किया जावेगा। स्वास्थ्यगत कारणों के आधार पर जिले के भीतर परिवहन हेतु डॉक्टरों द्वारा लिखित उपचार पर्ची को पास के रूप में मान्य किया जावेगा। जिले के बाहर मृत्यु, मेडिकल, एमरजेंसी एवं अन्य आकस्मिक प्रकरण में परिवहन हेतु पास संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय से जारी किये जायेंगे। यह अधिकार जिला दण्डाधिकारी धमतरी द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रत्योजित किये जाते हैं यह आदेश अनुविभागीय दण्डाधिकारी के हैसियत से जारी नहीं किये जायेंगे, बल्कि वास्ते जिला दण्डाधिकारी धमतरी के नाम से जारी किये जायेंगे तथा कार्यालय का नाम भी कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी ही अंकित रहेगा। अर्न्तराज्यीय परिवहन पास जिला दण्डाधिकारी कार्यालय धमतरी से ही जारी किये जाएंगे।

#### विवाह :-

उक्त अवधि में विवाह कार्यक्रम को पूर्णतया स्थगित किये जाने का आदेश दिया जाता है। अपवादिक परिस्थिति में केवल 10 व्यक्तियों को विवाह में शामिल होने की अनुमति दी जावेगी। इस हेतु

अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। विवाह कार्यक्रम में किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा भोज की अनुमति नहीं होगी।

#### धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम :-

उक्त अवधि में समस्त धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना यथावत रहेगी परंतु बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णतया वर्जित किया जाता है यह निषेधाज्ञा नवरात्रि पर्व के दौरान भी लागू रहेगी। उक्त अवधि में मस्जिदों में बाहरी व्यक्तियों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं रहेगी। यह प्रतिबंध मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर इत्यादि समस्त धार्मिक उपासना के केन्द्रों में लागू रहेगी।

#### सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल :-

उक्त अवधि में समस्त धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल तथा पर्यटन से संबंधित समस्त गतिविधियां होटल रिसार्ट बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति अथवा फंसे हुए व्यक्तियों के लिए यह सुविधा चालू रहेगी जिसकी सूचना होटल संचालक द्वारा स्थानीय प्रशासन को दी जावेगी।

#### लॉकडाउन अवधि में कोविड टीकाकरण:-

उक्त अवधि में कोविड-19 के टीकाकरण का कार्य भी संपादित किया जा रहा है। टीकाकरण का यह अभियान वर्तमान में 45 वर्ष से अधिक सभी व्यक्तियों के लिए किया जा रहा है। अतः ऐसे व्यक्ति जिन्हें टीकाकरण किया जाना है टीकाकरण हेतु प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक अपने साथ आधार कार्ड लेकर टीकाकरण केन्द्र हेतु प्रस्थान कर सकते हैं आधार कार्ड को ही टीकाकरण केन्द्र तक पहुंचने हेतु पास के रूप में मान्य किया जावेगा।

#### हॉट बाजार

जिले के भीतर ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में लगने वाले समस्त साप्ताहिक हॉट बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।

#### मीडिया

समस्त मीडिया कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों का पालन करते हुए कार्य करने की अनुमति दी जाती है। उक्त कार्य में समय की पाबंदी लागू नहीं होगी परंतु प्रत्येक मीडिया कर्मी को पहचान पत्र रखना होगा। समाचार पत्र बांटने वाले हॉकर को संबंधित ब्यूरोचीफ पहचान पत्र जारी कर सकेंगे।

उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी,


धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक .12.04.2021

पृ.क्रमांक 3747/कोविड-19/2020/  
प्रतिलिपि :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय छ0ग0शासन, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री छ0ग0शासन, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।

5. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला-धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी/कुरुद/नगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. आयुक्त, नगर निगम, धमतरी एवं समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिला धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. उप संचालक, जनसंपर्क, धमतरी को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. सर्व तहसीलदार, /कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व कार्यालय प्रमुख, जिला-धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी,  
धमतरी (छ.ग.)